कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

कार्यालय दूरभाष सं0 : 0522-2623912, 0522-2614700 फैक्स सं0: 0522-2230099 ई-मेल :dmawaslko@gmail.com

पत्रांक : 48/0SD/2024

दिनांक : 27/01/2024

आदेश
(समय परिवर्तन – दिनॉक 03.02.2024 तक)

लखनऊ जनपद में शीतलहरी सम्बन्धित मौसम विभाग के पूर्वानुमान और तापमान को देखते हुए जनपद के सभी बोर्ड के विद्यालयों हेतु निम्न आदेश पारित किए जाते हैं:–

दिनांक 03 फरवरी 2024 तक कक्षा–12 तक के समस्त सरकारी/गैर सरकारी/प्राइवेट प्राइवेट विद्यालयों में जहॉं सम्भव हो, वहॉं विद्यालयों द्वारा कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से कराया जा सकता है। जिन विद्यालयों में भौतिक रूप से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, उनका समय **प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न** 03:00 बजे के मध्य ही रखा जाएगा। कक्षाएं संचालित करने की स्थिति में विद्यालय द्वारा निम्न प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाएंगे –

- ऐसे विद्यार्थियों की कक्षाओं में ठण्ड से बचाव हेतु पर्याप्त प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबन्धन की होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक कक्ष में तापमान सामान्य बनाए रखने हेतु रूम हीटर आदि का प्रयोग किया जाएगा।
- Classes/Practicals/Exams के लिए विद्यार्थियों को बाहर/खुले में नहीं बैठाया जाएगा।
- विद्यार्थियों के यूनीफार्म पहनने की बाध्यता को समाप्त किया जाता है और यह सलाह दी जाती है कि ऐसे गर्म कपड़े, जो ठण्ड से बचाव करने में सक्षम हों, उन्हें पहनकर ही विद्यार्थी विद्यालय जाएं।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रमाणिकता को जनपद की वेबसाइट **www.lucknow.nic.in** पर चेक किया जा सकता है।

27/01/24

(सूर्य पाल गंगवार)
जिलाधिकारी, लखनऊ

प्रतिलिपि–

1. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सादर सूचनार्थ सेवा में प्रेषित।
2. जिला विज्ञान सूचना अधिकारी (**DIO/NIC**), लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस आदेश की प्रति जनपद की **www.lucknow.nic.in** के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
3. उप निदेशक, सूचना, लखनऊ को समाचार पत्रों/मीडिया में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को अनुपालनार्थ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी,
लखनऊ